एन. डी. पी. नम्बूदरीपैड

बनाम

भारत संघ और अन्य

अप्रैल 16,2004

[एस. राजेंद्र बाबू और पी. वेंकटरामा रेड्डी, न्यायाधिपतिगण]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1954 — अनुसूची 1; भाग ।।। - पैराग्राफ 2(ए) और (बी) — केरल सेवा नियम — भाग ।।।; नियम 62- पेंशन की गणना अंतिम बार प्राप्त वेतन के आधार पर की जाती है- अभिनिर्धारित, अंतिम आहरित वेतन में मंहगाई भत्ता और विशेष भत्ते शामिल है- पैरा 2(ए) और (बी) के तहत आंकडे पेंशन की गणना के उद्देश्य से नहीं जोडे जाने चाहिए।

अपीलार्थी राज्य उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य था जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 8 वर्ष सिहत 23 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के साथ सेवानिवृत हुआ। संशोधित अधिनियम, 1986 और 1988 द्वारा संशोधित उच्च न्यायालय न्ययाधीश (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1954 की अनुसूची । के भाग ।।। के तहत, अपीलकर्ता के लिये मूल पेंशन 17,300 रूपये प्रतिवर्ष तय की गई थी। केंद्र सरकार ने अप्रैल 1987 में जारी एक आदेश द्वारा 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत हुयें कर्मचारियों की पेंशन संरचना

को तर्कसंगत बनाया। इसने दिसंबर, 1987 में एक अलग आदेश भी जारी किया जिसमें उच्च न्यायालय/उच्च्तम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1954/1958 की अनुसूची । के भाग ।।। के पैरा २(ए) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वीकार्य सामान्य पेंशन को 1.1.1986 से संशोधित किया गया।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 1989 में एक आदेश जारी किया जिसमें अप्रैल 1987 में जारी केंद्र सरकार के आदेश का लाभ 1.1.1986 से सेवानिवृत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी दिया गया। तदनुसार, अपीलार्थी की पेंशन को 1.1.1986 से संशोधित करके रूपये 32,720 प्रति वर्ष कर दिया गया। 1986 में अधिनियम की अनुसूची । के के भाग ॥ के पैरा 2 (बी) में संशोधन के बाद 1.1.1986 से अपीलार्थी की पेंशन को संशोधित कर रूपये 32,700 प्रति वर्ष किया गया था।

अपीलार्थी ने अंतिम आहरित वेतन में महँगाई भता और विशेष भत्तों को शामिल किए बिना पेंशन की गणना को चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष एक मूल याचिका दायर की। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादीगणों को निर्देश दियाकि वे अपीलकर्ता की पेंशन 1.1.86 से 35,000/- रूपये प्रतिवर्ष और 1.11.86 से प्रतिवर्ष 47,900 रूपये पर पुन- निर्धारित करे और यह कि अपीलार्थी पुनर्निर्धारण के बाद सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। केंद्र

सरकार ने एक रिट अपील दायर की। खंडपीठ ने रिट अपील को स्वीकार कर लिया। अपीलार्थी द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि केरल सेवा नियमों के नियम 62 के भाग III के तहत, अंतिम बार लिए गए वेतन में पेंशन की गणना के लिए महँगाई भता और विशेष भत्ते शामिल होने चाहिए; और यह कि नियम 62 एक समावेशी प्रावधान है जिसमें महँगाई भता और अन्य भत्ते शामिल हैं; कि उच्च न्यायालय ने पेंशन के निर्धारण के लिए अधिनियम के पैरा 2 (ए) और (बी) के तहत आंकड़े नहीं जोड़े थे।

केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि केरल सेवा नियमो के भाग ॥। के नियम 62 के तहत, पेंशन के निर्धारण के लिए केवल महँगाई वेतन पर विचार किया जाता है, न कि महँगाई भता और विशेष भत्ता पर।

अपीलो को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया :

1.केरल सेवा के नियम 62 में वाक्यांश "और शामिल" का अर्थ "और सिर्फ शामिल" नहीं लिया जा सकता है। परिभाषाा के पहले भोग को नियम 62 के खंड (ए) और (बी) में निहित समावेशी परिभाषाओ सेद्र नहीं किया जा सकता है। इसलिये, प्रतिवादीगणो द्वारा अपीलकर्ता लिये गये मंहगवाई भत्ते और विशेष भत्ते को अपीलार्थी की पेंशन की गणना के

लिये ध्यान में न रखना उचित नहीं है। गणना के उद्देश्य से, अंतिम भुगतान के रूप में प्राप्त परिलब्धियो पर विचार किया जाता है, न कि केवल अंतिम वेतन पर। [353 - एच; 354-ए-सी]

एम. एल. जैन बनाम भारत संघ, [1985] 2 एस. सी. सी. 355 – अंतर किया गया।

2. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांक 18.12.1987 के तहत, जो संशोधित किया गया है वह पैरा 2 (ए) के अनुसार साधारण पेंशन है न कि उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्त) अधिनियम, 1954/1958 की अनुसूची । के भाग ॥ के पैरा 2 (बी) के तहत विशेष अतिरिक्त पेंशन। उनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं हैं। इसलिए, खंडपीठ का यह विचार कि संशोधित पेंशन का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए अधिनियम की अनुसूची । के भाग ॥। के पैरा 2 के खंड (ए) और (बी) के तहत आंकड़े नहीं जोड़े जा सकते हैं, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की स्थिति को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों की पहली अनुसूची के भाग ॥ के पैरा 2 (ए) और (बी) को संशोधित पेंशन का पता लगाने के लिये ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। अधिनियम के पैरा 2 (बी) के तहत अपीलार्थी को प्राप्त होने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। [354 - एफ-एच; 355-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 2327-2328 / 1999

आर. पी. संख्या 299/97 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.11.97 से

टी. एल. वी. अय्यर, अभय कुमार और सुब्रमण्यम प्रसाद, अपीलार्थी के लिये।

एन. एन. गोस्वामी, रमेश बाबू, एम. आर., सुश्री शशि किरण, एस एन टेरडोल, बी. के. प्रसाद और पी. परमेश्वरन, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय राजेन्द्र बाबू, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थी केरल राज्य की केरल राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्य थे और 1972 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वे 23 साल की पेंशन योग्य सेवा के साथ सेवा से सेवानिवृत्त हुए; जिसमें से 8 साल उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन और अन्य लाभ उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की पहली अनुसूची के भाग III, जैसा कि संशोधन अधिनियम अधिनियम, 1986 और 1988 के द्वारा संशोधित किये गये थे, के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार, अपीलार्थी की मूल पेंशन रुपये 17,300/-प्रतिवर्ष देय निर्धारित की गई थी।

यू. ओ. आई. द्वारा जारी आदेश ओ.एम. दिनांक 16/04/1987 में दिनांक 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत हुये कर्मचारियों की पेंशन संरचना को तर्कसंगत बनाया गया। उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे। तदनुसार भारत सरकार ने दिनांक 18/12/1987 की एक अधिसूचना में, 1.1.1986 से अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ।।। के खंड 2 (ए) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य सामान्य पेंशन को 1 से संशोधित करने का आदेश दिया।

जी. ओ. एमएस 228/89/जी. ए. डी. दिनांक 19.10.1989 में केरल सरकार ने ओ. एम. दिनांक 16.04.1987 का लाभ 1.1.1986 से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देने के आदेश जारी किए।

तदनुसार, अपीलार्थी की पेंशन को 1.1.1986 से 31.10.1986 तक रूपये 32,720/- पर संशोधित कर दिया था। 1986 के अधिनियम 38 द्वारा अधिनियम की अनुसूची संख्या । के पैरा 2 (बी) के भाग ॥ के संशोधन पर विचार करते हुये जिसके द्वारा रु। 700 और रु. 3500 को रूपये 1600 और रूपये 8000 के आंकडों के साथ प्रतिस्थापित किया गया

था, अपीलार्थी की पेंशन को दिनांक 1.11.1986 से और बढ़ाकर रूपये 37,220 प्रतिवर्ष कर दिया गया था।

इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष ओ. पी. सं. 203/1990 प्रस्तुत की।

एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 12.03.1992 के फैसले के माध्यम से मूल याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियो को अपीलार्थी की पेंशन को रुपये 35 हजार प्रतिवर्ष 1.1.86 से और दिनांक 1.11.1986 से रूपये 47,900 प्रति वर्ष की दर से तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी पेंशन के इस पुनर्निर्धारण के अनुसार अन्य सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

इस निर्णय से व्यथितहोकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका /अपील संख्या 804/1992 दायर की। खंडपीठ ने दिनांक 10/7/1997 के अपने फैसले के तहत अपील को स्वीकार किया, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि भारत संघ द्वारा पेंशन की गणना करने में उपयोग की जाने वाली विधि काफी सही थी और यह अभिनिर्धारित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा 2 के खंड (ए) और (बी) के तहत आंकड़ों को जोड़कर पेंशन की गणना करने में उपयोग की जाने वाली विधि, सही नहीं थी।

व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका संख्या 299/1997 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10/11/1997 के आदेश के माध्यम से पुनविर्लोकन याचिका को अन्य बातों के साथ साथ यह कहते हुये खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं था कि अपीलार्थी को पेंशन स्वीकृत करने का आदेश अवैध है। इसलिए विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें की जाती हैं।

विचार के लिए जो दो मुद्दे उत्पन्न होते है वह है :

- (I) क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 2 (ए) के तहत पेंशन का निर्धारण सही है?
- (॥) क्या उच्च न्यायालय अधिनियम की अनुसूची । के भाग ॥। में पैरा 2 (ए) और (बी) के तहत पेंशन की संशोधित राशि का पता लगाने के लिए आंकड़े नहीं जोड़ने में सही था और कि खंड 2 (बी) के तहत एक सीमा लागू की गई थी?

बिंदु संख्या 1 :

अपीलार्थी दावा करता है कि खंड पीठ का निर्णय खंड 2 (ए) के तहत अपीलार्थी को देय पेंशन के निर्धारण के संबंध में गलत है। अपीलार्थी दावा करता है कि जी. ओ. (पी) सं. 760/89/एफ. डब्ल्यू. दिनांक 26.12.1989 (अनुलग्नक पी-7) में कहा गया है कि सभी मामलों में

औसत परिलब्धि के 50 प्रतिशत पर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। तदनुसार, वह दावा करता है कि रु 4237 यह उनकी सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त अंतिम वेतन था और यह इस राशि का आधा है न कि वेतन की राशि रुपये 3500/-, जिसे खंड 2 (ए) के तहत पेंशन के निर्धारण के लिए लिया जाना चाहिए। अपीलार्थी मंहगाई भत्ता और विशेष भत्ता मिलाकर रुपये 4237/- के इस आंकड़े पर पहुँचता है।

इस बिंदु को खंडपीठ ने रिट याचिका में संबोधित नहीं किया था और पुनर्विलोकन याचिका में इसने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि एम. एल. जैन बनाम भारत संघ, [1985] 2 एस. सी. सी. 355 के मामले में पेंशन की गणना के लिये रु. 3500 की राशि ली गई थी। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि ओ. पी. संख्या 203 /1990 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी गणना के प्रयोजनो के लिये इतनी ही राशि ली थी।

हालाँकि, अपीलार्थी केरल सेवा नियम के भाग III के नियम 62 पर भरोसा रखता है, जो इस प्रकार पठनीय हैः

" नियम 62. जब इस भाग में परिलब्धियां शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है वह परिलब्धियां जो कर्मचारी को ठीक उसके सेवानिवृत होने से पहले प्राप्त हो रही थी और इसमें शामिल हैं: (क) इन नियमों के भाग 1 में नियम 12 (23) में परिभाषित अनुसार वेतन और केरल राज्य के नियम 9 या नियम 31 के तहत नियुक्त के वेतन के लिये और अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत और,

(ख) कर्मचारी को महँगाई वेतन वास्तव में प्राप्त हुआ था।

यह उत्तरदाताओं का तर्क है कि नियम 62 को आकर्षित करने के लिये अपीलकर्ता को मंहगाई भत्ता और विशेष भत्ता मिल रहा था, न कि मंहगाई वेतन। वास्तव में, प्रतिवादी इस नियम पर भरोसा करते हैं कि महँगाई भता और अन्य विशेष भत्ते को अंतिम वेतन के रूपये 3500 में अपीलार्थी की पेंशन की गणना करने के प्रयोजनों के लिए क्यों नहीं जोड़ा गया।

हालाँकि, अपीलार्थी का तर्क है कि चूंकि नियम के पहले भाग का अर्थ है "वह परिलब्धि जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले प्राप्त कर रहा था" ऐसी कोई भी परिलब्धि नियम 62 के खंड (बी) में निहित समावेशी परिभाषा द्वारा छीनी नहीं जा सकती है।

अपीलार्थी का तर्क कानूनी रूप से सही प्रतीत होता है। नियम 62 में वाक्यांश "और शामिल है" का अर्थ "और केवल शामिल" है नहीं लिया जा सकता है। परिभाषा के पहले कुछ हिस्से को नियम 62 के खंड (ए) और (बी) में निहित समावेशी परिभाषाओं से दूर नहीं किया जा सकता है। इसिलए, प्रतिवादीगणों को उचित नहींठहराया गया क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा लिये गये मंहगाई भत्ते और विशेष भत्ते को अपीलकर्ता की पेंशन की गणना के लिये ध्यान में नहीं रखा गया था। यह सच है कि पहले एम. एल. जैन मामले, [1985] 2 एस. सी. सी. 355 में, गणना अंतिम वेतन को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई थी। हालांकि, उपरोक्त बिंदु यह है कि क्या महँगाई भत्ता और अन्य विशेष भत्तों सिहत अंतिम प्राप्त परिलिध्यों को पेंशन की गणना के उद्देश्यों के लिए लिया जाना चाहिए या अंतिम आहरित वेतन को लिया जाना चाहिये, उस मामले में संबोधित नहीं किया गया था।

तदनुसार, गणना रुपये 4237 को अपनाना चाहिए, जिसमें महँगाई भत्ता और विशेष भत्ते शामिल हैं न कि रु 3,500 मूल राशि के रूप में ।

बिंद् संख्या ।।

इस मुद्दे के संबंध में कि क्या दोनों राशियाँ अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ॥ के पैरा 2 के खंड. (ए) और (बी) द्वारा कवर की गई हैं, को दिनांक 16.4.1987 के आदेश से जुड़ी तालिका से संशोधित दर का पता लगाने के लिए एक साथ रखा जा सकता है, जिसने 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन संरचना को तर्कसंगत बनाया; खंड पीठ ने कहा कि ऐसा किया जाना अनुमत नहीं है।

पैरा 2 के खंड (ए) उस पेंशन से संबंधित है जिसका एक न्यायाधीश अपनी सेवा के सामान्य नियमों के तहत हकदार है। खंड (बी) उच्च न्यायालय के सेवानिृत न्यायाधीश को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के भुगतान के संबंध में प्रति वर्ष एक विशेष अतिरिक्त पेंशन को संदर्भित करता है।

अधिसूचना/आदेश दिनांक 18.12.1987 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (सेवा की शर्त) अधिनियम, 1954/1958 की पहली अनुसूची के भाग ॥ के पैरा 2 (ए) के तहत उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य सामान्य पेंशन को क्रमशः 1/1/1986 से संशोधित किया जा सकता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आदेश के तहत जो संशोधित किया गया है वह पैरा 2 (ए) के तहत सामान्य पेंशन है, न कि पैरा 2 (बी) के तहत विशेष अतिरिक्त पेंशन और उनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं हैं।

इसिलए, खंड पीठ का यह विचार कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ॥ के पैरा 2 के खंड (ए) और (बी) के तहत आंकड़े यह पता लगाने के उद्देश्य से कि संशोधित पेंशन सही है, नहीं जोड़े जा सकते।

अपीलार्थी ने आगे तर्क दिया कि खंड पीठ ने पेंशन की गणना में इसे खंड (बी) में निर्धारितानुासर रूपये 8000 की सीमा तक सीमित करने की गलती की है। श्री एम. एल. जैन द्वारा दायर तीसरे मामले [1991] 1 एस. सी. सी. 644 में इस न्यायालय द्वारा सीमा को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी का यह तर्क सही है। हालाँकि, भले ही खंडपीठ अधिकतम सीमा लागू करते समय एक आदेश देती है, लेकिन यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी को 12,800 रुपये की राशि के लिए अधिकृत किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद प्रतिवादियों ने वास्तव में 8,000 रुपये की सीमा नहीं लगाई है। इसलिए इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों की आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और और अपीलाधीन आदेश निम्नलिखित निर्देशों के साथ संशोधित किया जाता है:

- (ए) गणना के उद्देश्य के लिये मंहगाई भत्ते और अन्य विशेष भत्तो सिहत अंतिम भुगतान के रूप में प्राप्त परिलब्धियो पर विचार किया जाता है, न कि केवल अंतिम वेतन की राशि रूपये 3500/-।
- (बी) संशोधित पेंशन की राशि का पता लगाने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों की पहली अनुसूची के भाग ॥ के खंड 2 (ए) और (बी) को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये।

(सी) अपीलार्थी को अधिनियम के खंड (बी) के तहत प्राप्त होने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं लगाई जानी चाहिए।

(डी) प्रतिवादीगणों को तीन महीने की अविध के भीतर उपर बताये अनुसार पेंशन की पुनर्गणना करनी होगी और उसके बाद तीन महीने के भीतर बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा।

अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

बी. एस

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।